

CMYK

अनमोल दावा

“जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते।”

यह सिर्फ ‘जेन जी’ की स्मृतियों का मामला नहीं

लाख टके का सवाल है कि जिस पीढ़ी ने पेपर लोक के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन किया या कहीं दूर बैठ कर आंदोलन में हिस्सा लिया, वह कभी क्या भाजपा के ऊपर भरोसा करेगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भरोसा जीतने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तीन रील्स पोस्ट की, जिसमें नई पीढ़ी के युवाओं और छात्रों को फेंड्स कह कर संबोधित किया और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। उनकी पार्टी के सांसदों ने पेपर लोक के खिलाफ लाए गए बिल पर संसद के अंदर चर्चा में ‘जेन जी’ के ‘लिंगो’ यानी उनकी भाषा व शब्दावली का खुब इस्तेमाल किया। ऐसा दिखाया गया, जैसे भाजपा उनकी असली प्रतिनिधि पार्टी है और उनका ख्याल रख रही है। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की रील्स का जैसा मजाक बना और सरकार की हर पहल को जिस तरह से खारिज किया गया वह संकेत है कि इस पीढ़ी का भरोसा भाजपा के ऊपर नहीं बनेगा। इस पीढ़ी की बात करें तो इसकी संख्या बहुत बड़ी है और जब इस पीढ़ी के सारे लोग वोट करने की स्थिति में आएंगे तब भाजपा के सामने असल संकट होगा। एक अनुमान के मुताबिक ‘जेन जी’ यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी की आबादी 35 से 38 करोड़ के बीच है। यानी कुल आबादी में इनका हिस्सा लगभग 27 फीसदी के करीब बनता है। इनकी उम्र 14 से 29 साल के बीच है। इनमें से एक चौथाई किशोर उम्र के लोगों को निकाल दें, जो अगले चुनाव तक वोट देने के योग्य नहीं हुए होंगे तब भी यह आबादी 25 करोड़ से ऊपर होगी। यानी ‘जेन जी’ के 25 करोड़ वोटर होंगे। ये सीधे तौर पर इस आंदोलन के हिसाबदाar थे। ध्यान रहे उनका आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के बिना था, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए था। पेपर लोक से उनकी पढ़ाई और परीक्षा दोनों प्रभावित हो रहे थे। इसलिए वे सरकार की विफलता के खिलाफ आंदोलन पर उतरे। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेंट गन से हमला किया और शॉक बैटन से मारा। उनको रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। इंटरनेट बंद किया गया। ऐप आधारित सेवाओं को रोकने का प्रयास किया गया। अब उनकी पहचान बता कर सोशल मीडिया में ट्रेल भी किया जा रहा है। उनको धमकियां मिल रही हैं और डराया जा रहा है। अब भी छात्रों और युवाओं को विकिटम की बजाय अपराधी बताने की कोशिश हो रही है। उनकी स्मृति में ये बातें हमेशा दर्ज रहेंगी। यह सिर्फ ‘जेन जी’ की स्मृतियों का मामला नहीं है। उनसे पहले और उनसे बाद वाली पीढ़ी की स्मृति का भी मामला है। ‘जेन जी’ की बात सभी कर रहे हैं हकीकत यह है कि इनके आंदोलन के बाद ‘जेन अल्फा’ यानी 2012 के बाद जन्मी पीढ़ी के उन बच्चों में भी नई जागरूकता आई है। खास कर ऐसे बच्चे, जिनकी उम्र 10 से 14 साल की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक आवासीय कन्या विद्यालय की छात्राओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च किया। हालांकि रास्ते में उनको रोक दिया गया। लेकिन 30 जुलाई को यह घटना दिखाती है कि जंतर मंतर के आंदोलन का असर कितना व्यापक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और मनमाना शुल्क वसूलने को लेकर 28 जुलाई को प्रदर्शन किया। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंच कर स्कूल का मुआयना किया। शहडोल और फतेहपुर में प्रदर्शन करने वाले छात्र, छात्राओं में 14 साल या उससे कम उम्र के भी बच्चे शामिल थे। जाहिर है कि ‘जेन जी’ का आंदोलन उनको भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे बच्चों यानी ‘जेन अल्फा’ की आबादी भी 35 से 40 करोड़ के बीच है। इनमें से 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं यानी एक तिहाई बच्चे 2029 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र तक नहीं पहुंचेंगे। परंतु उसके बाद के चुनाव में ये मतदाता होंगे। ध्यान रहे यह डिजिटल युग में पैदा हुई पहली पीढ़ी है, जिनके जीवन पर स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये अगले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे लेकिन पारिवारिक निर्णयों, उपभोक्ता बाजार और देश के भविष्य के ढांचे में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वोट डालने की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इनकी ये भूमिकाएं बन जाएंगी। अब इन दोनों पीढ़ियों के अभिभावकों या इनकी पहले वाली पीढ़ी यानी मिलेनियल्स की बात करें तो उनकी आबादी भी 40 करोड़ के आसपास है। यह वो पीढ़ी है, जिसका जन्म 1980 से 1996 के बीच हुआ है। यानी 30 से 46 साल के बीच की उम्र की पीढ़ी। इनके बच्चे ‘जेन जी’ हैं या ‘जेन अल्फा’। क्या इनको अपने बच्चों की तकलीफों का अंदाजा नहीं होगा? क्या उनकी राजनीतिक विचारधारा या मतदान व्यवहार अपने बच्चों की प्राथमिकताओं या आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं होगा? अगर होगा तो फिर सोचें, इसका कितना बड़ा असर देश की राजनीति पर होगा। इन तीन पीढ़ियों को मिल कर कुल 120 करोड़ आबादी बनती है। इनमें से अगले चुनाव के समय लगभग 70 करोड़ मतदाता होंगे। अभी के घटनाक्रम पर जैसी प्रतिक्रिया सरकार की है और उस प्रतिक्रिया के ऊपर छात्रों व युवाओं का जैसा रियास है उसे देखते हुए साफ प्रतीत होता है कि सरकार और एक बड़ी आबादी के बीच संवाद के तार टूट गए हैं। जैसे पिछली पीढ़ियों की याद में बहुत सारी देशी, विदेशी घटनाएं हैं, जिन्होंने उनके विचार गढ़े और उनकी राजनीति को प्रभावित किया। मतलब मंदिर आंदोलन से लेकर मंडल आंदोलन और उदारीकरण से लेकर वैश्वकरण और 9/11 की घटना के बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग जैसी बहुत सी घटनाओं ने उनके विचार बनाए। अब इस पीढ़ी के विचार संचार क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर में बन रहे हैं।



धुत पुरुषोत्तम

आज 9 अगस्त है। पूरा विश्व “विश्व आदिवासी दिवस” मना रहा है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को तय किया था ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि इस धरती के सबसे पुराने निवासी, प्रकृति के सबसे सच्चे रखवाले-आदिवासी-आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इसी दिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सवाल उठता है : क्या लोकतंत्र में आदिवासी की आवाज उतनी ही मजबूत है जितनी बाकी सबकी?

1. लोकतंत्र की जड़ें आदिवासी समाज में हैं हम कहते हैं लोकतंत्र 2500 साल पहले यूनान से आया। लेकिन सच ये है कि भारत के जंगलों में, गांवों में, गोड, भील, संथाल, उरांव समाज में हजारों साल से “ग्राम सभा” चल रही थी। गोड समाज की “मांदा बैरक”, मुंडा समाज की “परहा व्यवस्था”, भील समाज की “तड़्डी” व्यवस्था - ये सब लोकतंत्र के ही रूप थे। वहां राजा नहीं था, सरपंच तांशाह नहीं था। फैसला सब मिलकर करते थे। पेड़ काटना हो तो पूरे गांव की इजाजत लेना। नदी का पानी बांटना हो तो सबकी सहमति आवश्यक होगी।

इसे कहते हैं “सहभागी लोकतंत्र”। वोट डालने के बाद 5 साल तक भूल जाने वाला लोकतंत्र नहीं, बल्कि रोज के फैसले में भागीदारी वाला लोकतंत्र। ICS जयपाल मुंडा ने भी कहा था - “लोकतंत्र सिर्फ सरकार का रूप नहीं, ये जीने का तरीका है”। और ये तरीका आदिवासी सबसे पहले जानते थे। जल, जंगल, जमीन को साझा संपत्ति मानना - यही तो सच्चा लोकतंत्र है।

2. संविधान ने आदिवासी को क्या दिया? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो ICS जयपाल मुंडा और आदिवासी नेताओं ने मिलकर आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार मागे। अनुच्छेद 244, पांचवी और छठी अनुसूची - ये आदिवासी इलाकों के लिए “स्व-शासन” की गारंटी हैं।

PES कानून 1996 - इसमें कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा ही सबसे ऊपर है। जमीन अधिग्रहण, खनन, शराब दुकान - सब ग्राम सभा से पूछकर होगा।



(आज विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष)

अनुच्छेद 46 - राज्य कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को रक्षा करेगा।

मतलब कागज पर लोकतंत्र ने आदिवासी को राजा बना दिया। लेकिन जमीनी हकीकतसिफर।

3. लोकतंत्र की चुनौती: संख्या कम, समस्या बड़ी भारत में आदिवासी आबादी सिर्फ 10.6 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार 12.45 करोड़। लोकतंत्र में संख्या ही ताकत है। इसलिए कई बार आदिवासी की बात संसद से लेकर पंचायत तक दब जाती है।

3 सबसे बड़ी चुनौतियां : पहली - विस्थापन का लोकतंत्र - अजाद के बाद से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों की 11 लाख हैक्टयर भूमि अभ्यारण्य, बांध, खदान, उद्योग के नाम पर विस्थापित हुई। मुआवजा तो दूर की बात उनसे पूछा तक नहीं गया इस तरह उनके साथ छल हुआ है जिनकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। संविधान कहता है ग्राम सभा की सहमति जरूरी है, लेकिन फाइल में दस्तखत हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है?

दूसरी - प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र - लोकसभा में 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा में 554 सीटें। लेकिन क्या ये सांसद/विधायक सच में आदिवासी मुद्दे उठाते हैं? या पार्टी के व्हिप के आगे झुक जाते हैं? 5 साल में एक बार वोट मांगने आना, फिर 5 साल तक नहीं दिखना - ये कैसा लोकतंत्र?

तीसरी - पहचान का लोकतंत्र- आज भी स्कूल में आदिवासी बच्चे को “तुम जंगली हो” सुनना पड़ता है। नौकरी में आरक्षण पर सवाल उठते हैं। मीडिया में

आदिवासी को सिर्फ “असभ्य” या “मासूम” के दो चरमों से दिखाया जाता है। जब तक सम्मान नहीं, तब तक बराबरी का लोकतंत्र अधूरा है।

4. फिर भी उम्मीद क्यों है? आदिवासी ने लोकतंत्र को जिंदा रखा

पहली - कानूनी जीत- “समता जजमेंट 1997” में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी की जमीन गैर-आदिवासी को नहीं बेची जा सकती। “निमगिरि आंदोलन” में ओडिशा की डोंगरिया कोंध जनजाति ने ग्राम सभा के वोट से वेदांता कंपनी को भगा दिया। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

दूसरी - राजनीतिक जीत -द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति हैं। वो एक आदिवासी महिला हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई मुख्यमंत्री, मंत्री आदिवासी समाज से आए। इसका मतलब दरवाजा बंद नहीं है।

तीसरी - सांस्कृतिक जीत:- आज “जल जंगल जमीन” का नारा सिर्फ आदिवासी का नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में पूरी दुनिया आदिवासी के ज्ञान को मान रही है, आज पर्यावरण बचा है तो सिर्फ आदिवासियों के बदौलत। हू भी कहता है - जंगल बचाना है तो आदिवासी को अधिकार दो।

5. आगे का रास्ता: “सामाजिक लोकतंत्र” बनाना होगा जयपाल मुंडा ने कहा था - “राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट मानेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक कीमत नहीं मानते। यदि हमने ये असमानता जल्दी नहीं मिटाई तो राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा”। इसलिए आगे 3 काम करने होंगे:-

1. PESA को असली ताकत देना :- हमने देखा है आज भी अनुसूचित क्षेत्रों में pesa लागू नहीं है, ग्राम सभा को सिर्फ कागज पर नहीं, बजट और अधिकार भी चाहिए। जंगल का 100% अधिकार आदिवासी ग्राम सभा को मिले।

2. शिक्षा और भाषा: आदिवासी बच्चों को अपनी मातृभाषा गोंडी, भीली, संथाली में प्राथमिक शिक्षा मिले। IAS, डॉक्टर, इंजीनियर आदिवासी समाज से ज्यादा बनें ताकि नीति बनाने वाले टेबल पर हमारी आवाज हो।

3. विकास का मॉडल बदलना:- आज हम 10 डॉक्टर बनाकर 10 हजार बीमारी पैदा कर रहे हैं क्या यही विकास है - हमें जैविक खेती अपनाकर छोटे अनाज जैसे - कोदो,कुटकी, मंडिया का उत्पादन कर अपने पुरखों की विरासत को बढ़ाने और आने वाली पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। विकास का मतलब सिर्फ फैक्ट्री और रोड नहीं। विकास का मतलब है - जंगल बचे, नदी बचे, संस्कृति बचे। “विकास के साथ विस्थापन नहीं” - ये फार्मूला बनाना होगा।

4. आदिवासी क्षेत्रों में कलेक्टर, SDM, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास व अन्य सभी कर्मचारी जनजाति वर्ग से होना चाहिए तभी ये अधिसूचित क्षेत्रों में pesa का क्रियान्वयन सही सही हो सकता है।

जय जोहार का मतलब “जय जोहार” का मतलब सिर्फ अभिवादन नहीं है। इसका मतलब है - “मैं तुम्हारे जीवन को सम्मान देता हूँ”।

सच्चा लोकतंत्र भी यही है - हर जीवन को सम्मान। आदिवासियों ने 5000 साल से धरती को सम्मान दिया। अब लोकतंत्र की बारी है कि वो आदिवासियों को सम्मान दे।

आज विश्व आदिवासी दिवस पर हम ये संकल्प लेते:- हम संविधान बचाएंगे, ग्राम सभा मजबूत करेंगे, और ये साबित करेंगे कि भारत का लोकतंत्र तभी पूरा होगा जब आदिवासी को पर खड़ा आदिवासी भी कहे - “ये मेरा देश है, ये मेरी सरकार है”। क्योंकि जब आदिवासी खुश होगा तो जंगल खुश होगा। जब जंगल खुश होगा तो देश खुश होगा। जल जंगल जमीन की जय! संविधान की जय! जय जोहार।।

(भू अधि.अधिकारी, सिविल लाइन राजनांदगांव)

विचार सरिता

मन में बसे हैं राम 451 : मार्ग दुर्गम वन क्षेत्र, उफनती नदियों व अविजित पर्वत श्रृंखलाओं से

डॉ. योगेंद्र कुमार पांडेय



सु तीक्ष्ण मुनि के अनुरोध पर श्रीराम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपना आसन

ग्रहण किया।

श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि का धन्यवाद करते हुए कहा, + अहोभाग्य महामुनि ! मेरे वन प्रवास के इस कालखंड में आपसे भेंट मेरी बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ वनों की खाक छान रहा हूँ।-

“मुझे ज्ञात है श्री राम! आप चित्रकूट से आगे की यात्रा पर हैं। मैंने अपने जन्मभर की साधना का

फल आज प्राप्त कर लिया है। साक्षात् श्री हरि आपके रूप में इस आश्रम में पहुंचे हैं। अब यह स्थान आश्रम के आसपास का कई योजना तक का क्षेत्र आपको अनवरत यात्रा को एक दीर्घ विराम देने के सर्वथा उपयुक्त है।” सुतीक्ष्ण मुनि ने भाव विह्वल होते हुए कहा।

सीता जी ने कहा, “ हे महामुनि ! चित्रकूट के जन बहुल क्षेत्र के विपरीत यह वनक्षेत्र निराल जन उपस्थिति वाला है। रघुनंदन की कठोर जीवनचर्या के अनुपालन के लिए यह क्षेत्र अत्यंत अनुकूल प्रतीत होता है।”

सुतीक्ष्ण मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, “ सत्य कहा देवी। जिस विप्राट उद्देश्य को श्री राम को पुरा करना है, उसका मार्ग दुर्गम वन क्षेत्र, उफनती नदियों, और

अविजित पर्वत श्रृंखलाओं से होकर जाता है। मेरे आश्रम में आपका आगमन उनके ध्येय की दृष्टि से भी सर्वथा उचित है।”

चर्चा आगे बढ़ती और लक्ष्मण जी कुछ बोलने को उद्यत हुए। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, “मैं आह्व कर रहा हूँ कि आप तीनों अब विश्राम करें, तथापि सौमित्र कुछ कहना चाहते हैं। वे अपनी बात अवश्य रखें।”

लक्ष्मण जी ने कहा, “मैं मानव अस्थियों का विशाल पर्वत देखकर आया हूँ महामुनि। मैं

दुष्ट राक्षसों के उस तक जल्दी पहुंचना चाहता हूँ।”

“विमर्श होगा किंतु आज रात्रि विश्राम के बाद।” सुतीक्ष्ण मुनि ने उत्तर दिया, “अवश्य सौमित्र!” (भगवान श्री राम की प्रेक गाथा विश्व की अनेक भाषाओं की

शताधिक रामायणों में लिखी गई है।इस कृतज्ञ लेखक ने इस रचना में श्री राम की महागाथा के विविध प्रसंगों से कथा प्रवाह की प्रेरणा प्राप्त की है। उन्होंने विविध प्रसंगों में अनेक स्थानों पर उन्हें मिलने वाली कृपापूर्ण सूझ के साथ - साथ एक साधारण भक्त की अपनी नवीन रचनात्मक कल्पनादृष्टि का भी सहारा लिया है और रामकथा की मौलिक साहित्यिक प्रस्तुति का प्रयत्न किया है।)

(मन में बसे हैं राम के पिछले तीन अंगों में वृत्तिवश अंक संख्या 348, 349 और 350 मुद्रित हो गया। उन्हें सुधाकर क्रमशः 448, 449 और 450 पृष्ठ जाए। दैनिक दवा के पाठकों के लिए आज प्रस्तुत है- इस श्रृंखला का 451 वां अंक)

कहीं आप 'जहर' तो नहीं खा रहे?



पनीर शाकाहारी खाने का अहम हिस्सा है। प्रोटीन का बहेरीन सोर्स होने के साथ-साथ यह स्वाद में भी काफी लाजवाब होता है, लेकिन जो पनीर आप घर ला रहे हैं, क्या वो असली है? दरअसल, बाजार में मिलने वाला हर पनीर असली हो ये जरूरी नहीं है। हाल ही में, फूड सेफ्टी एंड रेटेंडेंस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गलत लेबलिंग और सेहत से जुड़े खतरों के देखते हुए एनालॉग पनीर पर सैन लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनालॉग पनीर होता क्या है? एनालॉग पनीर असली पनीर की तरह शुद्ध 100ल डेयरी से नहीं होती। इसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आइए जाने ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसके नुकसान क्या हैं और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं।

क्या है एनालॉग पनीर?

बाजार में पनीर की मांग देखते हुए पनीर का एक दूसरा ऑप्शन तैयार किया, जिसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। पारंपरिक पनीर शुद्ध रूप से दूध से बनता है, लेकिन एनालॉग पनीर में मिल्क साॅल्लिड्स, वेजिटेबल ऑयल, इमल्सीफायर्स और स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखने बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, छूने पर भी हो सकता है आपको कोई फर्क महसूस न हो, लेकिन ये सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस पर बैन भी लगाया गया है।

कैसे बनता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर बनाने के लिए स्किल्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल जैसे सस्ते वेजिटेबल फैट्स, स्टार्च, इमल्सीफायर्स और प्रोसेसिंग सॉल्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, थर्मल प्रोसेसिंग के जरिए इसे स्टेबल किया जाता है। इसकी सामग्री और अल्ट्रा प्रोसेस्ड तरीके से बनाए जाने की वजह से इसमें पोषक तत्वों की काफी कमी हो जाती है और प्रोसेस्ड फैट और सोडियम की मात्रा काफी बढ़ जाती है।

असली पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क

असली प्रोटीन में प्राकृतिक दूध का प्रोटीन होता है और दूध के इस्तेमाल के कारण नेचुरल फैट्स होते हैं, लेकिन एनालॉग पनीर में स्किल्ड मिल्क सॉल्लिड इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों काफी कम होते हैं। एनालॉग पनीर में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिससे इसमें अनेहदी फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा, ताजा पनीर बहुत कम प्रोसेस्ड होता है, जबकि एनालॉग पनीर अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। एनालॉग पनीर में पोषक तत्वों की मात्रा भी काफी कम होती है, लेकिन इसमें कैलोरी, अनेहदी फैट और सोडियम ज्यादा पाया जाता है।

कविता

सावन ल खोजत हंव

ओ हो तो तो के बोली संग, तुमारी ल खोजत हंव। नागर बईला जोता संग, दातारील खोजत हंव।। तरिया नदिया नवका के, पानी ल खोजत हंव।। उछलत कुदत नाचत, मेढुकी रानी ल खोजत हंव।। पानी म छिप्पिर छाप, वो मक्ती ल खोजत हंव।। डोकरा बबा छाये छानी, वो बक्ती ल खोजत हंव।। टेटका मेँचका छिगर के, गान ल खोजत हव।। रिमझिम गिरत पानी के, सुरतान ल खोजत हंव।। करिया करिया बादर म, बिजली के चमक ल खोजत हंव।। सावन के झड़ी पानी म, फोटका ल खोजत हंव।। सवनही गरभही म करे, टोटका ल खोजत हंव।। गाड़ा बईला के परे वो दावन ल खोजत हव।। हरियार खेती खार संग, मय सावन ल खोजत हंव।।

आनंदराम सारवा अनंत कु, बो. भाटागांव



विशेष फीचर

प्रधानमंत्री आवास योजना विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव

पक्के घरों से बदल रही गांवों की तस्वीर,
आत्मसम्मान से भर रहा हर परिवार



हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, यह केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अभियान है। विकसित भारत के निर्माण में आवास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। **श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**



“हमारी सरकार का लक्ष्य है, कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। पक्का घर केवल चार दीवारों नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है।
श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

पक्का घर : सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का आधार

छत्तीसगढ़ में आवास योजना का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने आवास निर्माण को केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनकल्याण के व्यापक अभियान का स्वरूप दिया है। गांव-गांव तक पहुंची इस पहल ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का नया अध्याय जोड़ा है।

एक समय था जब प्रदेश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कच्चे मकानों, झोपड़ियों और अस्थायी आवासों में जीवनयापन करने को मजबूर थे। बरसात में टपकती छतें, गर्मियों में असहनीय तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन संघर्ष का पर्याय बन चुका था। आज वही परिवार मजबूत पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबके लिए आवास' के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन मोड में धरातल पर उतारते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

आवास से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन

प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल ईंट और सीमेंट के ढांचे खड़े नहीं किए हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। प्रदेश के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों, आदिवासी बहुल इलाकों और नक्सल प्रभावित अंचलों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज हजारों गांवों में नए आवासों के साथ बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, गैस कनेक्शन, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है।

आवास अब केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान का आधार बन गया है।



नया घर, नई उम्मीद



सुशासन, तकनीक और पारदर्शिता का मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक और सुशासन को प्राथमिकता दी है।

तकनीक से पारदर्शिता

- डिजिटल मॉनिटरिंग**
हर आवास की प्रगति पर निरंतर नजर
- जियो टैगिंग**
प्रत्येक आवास का भौगोलिक सत्यापन
- सीधा लाभ**
हस्तांतरण लाभ सीधे हितग्राही के खाते में
- जन सहभागिता**
आवास मित्र, पंचायत और स्थानीय हितग्राहियों की सक्रिय भूमिका
- पारदर्शिता और जवाबदेही**
शिकायत निवारण और ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, ऑनलाइन सत्यापन, हेल्पलाइन सेवाएं और तकनीकी निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रत्येक आवास की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी है और लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।

आदिवासी अंचलों में विकास का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ने विकास की नई कहानी लिखी है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार अब पक्के और सुरक्षित घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास की किरण पहुंची है।

इन क्षेत्रों में आवास निर्माण के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का भी विस्तार हुआ है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

26 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति



विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए 33000 आवासों की स्वीकृति



आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के लिए विशेष 15000 आवास



महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

निर्माण सामग्री आपूर्ति और भवन निर्माण सहयोग से विकास की मुख्यधारा से जुड़े परिवार और बढ़ती आत्मनिर्भरता।

जब घर बना, तब बदली जिंदगी

बस्तर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दतेवाड़ा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सक्ती, मुंगेली और प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके लिए पक्का मकान कभी एक सपना था आज वही सपना साकार हो चुका है। पक्का घर मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई हैं और परिवार में आत्मविश्वास बढ़ा है।



महिलाओं के नाम पर बढ़ रहा स्वामित्व और सम्मान

योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त स्वामित्व में स्वीकृत किए गए हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण मजबूत हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही, बल्कि परिवार की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जल संरक्षण के साथ हरित विकास

छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास निर्माण को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा है। 'मोर गांव-मोर पानी' जैसे अभियानों के माध्यम से नए आवासों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल भविष्य के लिए जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है।



डिजिटल छत्तीसगढ़, मजबूत कदम

ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, डिजिटल सत्यापन और तकनीकी निगरानी ने योजना की विश्वसनीयता बढ़ाई है। डिजिटल माध्यमों से शिकायत निवारण और प्रगति समीक्षा की व्यवस्था ने सुशासन की नई मिसाल प्रस्तुत की है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है। आवास निर्माण कार्यों से हजारों स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। कई जिलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह निर्माण सामग्री आपूर्ति, भवन निर्माण सहयोग और अन्य सेवाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।



विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर



स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक दीपक भाई बुद्धदेव द्वारा स्वस्तिक ऑफसेट एण्ड स्क्रीन प्रिंटर्स, बल्लेव बाग रोड, राजनांदगांव से मुद्रित कर प्रकाशित। सम्पादक दीपक भाई बुद्धदेव।

* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। * किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राजनांदगांव रहेगा। फोन नं. - 07744-406631, e-mail : dainikdawa_rjn@yahoo.com